न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 26/अपील/2024 (GCMS No. 2024/88)	03.06.2024	03.03.2025

देवलाल आ. लोडक्या जाति मेघवाल, निवासी रूपनगर,
हाल निवासी ग्राम टहला, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी

– अपीलान्ट

बनाम

1. लटूर आ. लोडक्या जाति मेघवाल, निवासी रूपनगर, तह. बून्दी
2. गोपाल आ. लोडक्या जाति मेघवाल, निवासी रूपनगर, तह. बून्दी
3. रामपाल आ. लोडक्या जाति मेघवाल, निवासी दौलाडा, तह. बून्दी
4. टोली पुत्री लोडक्या पत्नी सुखदेव जाति मेघवाल,
   निवासी रूपनगर, हाल ग्राम टहला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
5. पुष्पा पुत्री लोडक्या पत्नी कालू जाति मेघवाल,
   निवासी रूपनगर, हाल नीम का खेडा, तहसील एवं जिला बून्दी
6. रामनाथी पुत्री लोडक्या पत्नी सुखा जाति मेघवाल, निवासी रूपनगर,
   हाल कुम्हारों का बरडा, रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
7. तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री रामकुमार दाधीच, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1, 3 लगायत 6 की ओर से श्री प्रवीणकुमार जैन एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 7 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 78 दिनांक 13.12.1978 ग्राम गरनारा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार लोडक्या आ. पन्ना जाति मेघवाल के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलक्टर बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 26/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/88 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तक्र प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि ख.सं. 62 रकबा 0.4960 हैक्टेयर एवं ख.सं. 63 रकबा 0.6152 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.0612 हैक्टेयर वाके ग्राम गरनारा, तहसील बून्दी में स्थित है, उक्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पो.सं.1 लगायत 6 के पिता लोडक्या पुत्र पन्ना जाति बलाई निवासी रूपनगर हिस्सा 1/2 एवं मथुरा वल्द आनन्दा कौम मीणा निवासी रूपनगर हिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि के 1/2 भाग के खातेदार लोडक्या के जीवनकाल में ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। तत्पश्चात खातेदार लोडक्या की मृत्यु होने पर उसके हक की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण सं. 78 दिनांक 13.12.1978 दर्ज किया गया। जिसके आधार पर मृतक लोडक्या के वारिस के रूप में रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 (लटूर, रामपाल, गोपाल) का ही नाम नामान्तरकरण में दर्ज किया गया, जबकि मृतक लोडक्या के रेस्पो.सं.1 लगायत 3 के अलावा अपीलांट एवं रेस्पो.सं. 4 लगायत 6 भी पुत्र पुत्रियां होने से प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी वारिस है तथा उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसी कारण ग्राम सीन्ता में स्थित खातेदार लोडक्या की अन्य भूमि खसरा संख्या 117 रकबा 7 बीघा 07 बिस्वा हिस्सा 1/2 पर लोडक्या की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरकरण प्रविष्टी संख्या 198 दिनांक 11.07.2001 लोडक्या के वारिसान अपीलांट व रेस्पो.सं. 1 लगायत 6 के नाम समान भाग के हकदार के रूप अंकित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सही तरीके से जांच किये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपील विषयक भूमि का नामान्तरकरण केवल रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया, जो विधि विरूद्ध होने के साथ प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अपील विषयक नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 16.05.2024 को तहसील कार्यालय में भूमि के बटंवारे के संबंध में हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर हुई। इससे पूर्व अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य पेश है। नामान्तरकरण आदेश की तिथि से जानकारी की तिथि तक का समय जानकारी के अभाव में क्षमा योग्य है। इस हेतु विलम्ब शमन की याचना के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरआरटी 2024(2) पेज 1240 की नजीर पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1, 3 लगायत 6 ने बहस के दौरान कथन किया कि अपील में वर्णित तथ्य सही एवं सत्य है। अतः अपील में अंकित तथ्यों के अनुरूप फोती नामान्तरकरण में लोडक्या के सभी वारिसान का नाम दर्ज करने में रेस्पोडेंटस को कोई आपत्ति नहीं है।

पेरोकार सरकार का दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलांट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 78 दिनांक 13.12.1978 के विरूद्ध दिनांक 28.05.2024 को पेश की गई है जो अत्यधिक विलम्ब से पेश हुई है। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसके खाते की भूमि पर अपना दर्ज करवाये जाने के लिए अपीलांट द्वारा दिनांक 16.05.2024 से पूर्व 45 वर्षो तक राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं की गई हो, यह विश्वसनीय नहीं है। गंभीर विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया गया। इस प्रकार अपीलांट द्वारा 45 वर्ष गुजर जाने के बाद अवधि बाधित अपील पेश की गई है, जो नियमानुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट हुआ कि ग्राम गरनारा, तहसील बून्दी में विस्थित आराजी कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि का खातेदार लोडक्या पुत्र पन्ना बलाई था। खातेदार लोडक्या के फोत हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण सं. 78 दिनांक 13.12.1978 मृतक खातेदार के वारिसान लटूर, रामपाल, गोपाल के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि खातेदार लोडक्या के फोत होने पर उसके विरासत नामान्तरकरण सभी वारिसान के पक्ष में दर्ज नहीं किये जाने से उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है, जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली पर सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किये जाने पर प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 13.12.1978 को तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 28.05.2024 को 45 वर्ष गुजर जाने के बाद इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 16.05.2024 को होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। यहां उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलांट द्वारा उसके पिता लोडक्या के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर तस्दीक किया जाना माना है तो ऐसे में अपीलांट पुत्र को उसके पिता की खातेदारी भूमि के राजस्व रेकार्ड की 45 सालों तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह विश्वसनीय नहीं है, जबकि किसानों को लगान अदायगी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि खातेदारी रिकार्ड के अनुसार ही प्राप्त

जिला कलेक्टर, बून्दी

होता है। इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है। अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ 549 में प्रतिपादित है कि An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainty and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a party`s own inaction, negligence or laches. इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि Liberal approcah cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay- Held, Application & appeal are liable to be dismissed. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि इसमें अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें गंभीर विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अपीलांट पेश करने में पूर्णतः असफल रहा हैं। ऐसे में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 03.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी